International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत में लैंगिक समानता : तीन तलाक प्रथा का विश्लेषण

आकाश दीप

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलिज, मेरठ ग्राम व पोस्ट मोरना रूकनपुर, थाना भावनपुर, जिला मेरठ (उ0प्र0) 250001

शोध सारांश

विश्व के लगभग हर समाज में लैंगिक असमानता मौजूद है। प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं को निर्णय लेने, उन्हें आर्थिक इकाई के रूप में स्वीकार करने और सामाजिक संसाधनों तक उनकी पहुँच से उन्हें वंचित रखने में कुप्रथा का एक लम्बा इतिहास रहा है। भारतीय समाज में मुस्लिम वर्ग में धार्मिक प्रवृत्तियों से हो रहे विवाह (निकाल), बहुविवाह, शरीयत एवं तलाक आदि हैं, मुस्लिम समाज में प्रचलित ''तीन तलाक'' की प्रथा पत्नी को एक बार में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर पत्नि से सम्बन्ध खत्म करने का अधिकार, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन निकाह के रूप में, शिक्षा से वंचित करके, पर्दा प्रथा अपनाने के लिए बाध्य करने आदि न जाने कितने आधारों पर किया जाता है। इस प्रकार के शोषण का मुख्य कारण धर्म का सही और पूरा ज्ञान न होना, शरीयत कानून के नियम का गलत प्रयोग, अन्धविश्वास एवं रूढ़िवादी होगा एवं अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक विवाद के साथ ही विवाह को कानूनी रूप प्रदान न किया जाना है। भारत में वर्षों से ''तीन तलाक'' की कुप्रथा से मुस्लिम महिलायें पीड़ित होती रही हैं लेकिन एक लम्बे संघर्ष के बाद आखिरकार मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिल ही गया। सन् 1970 और 1980 के दशक में शाहबानों ने एक लम्बा संघर्ष किया सन् 1985 में संसद ने शाहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। मोदी सरकार ने उसी ''राजीव गांधी सरकार'' की भूल को सुधारा है, इसी के साथ ही भारत एक नवयुग में प्रवेश कर गया। मुस्लिम महिलायें अब इस कुप्रथा से मुक्त हो गई हैं। ये कहीं न कहीं सच्चाई की जीत और वोट बैंक की हार है। इसी के साथ मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान किये गये अपने सबसे प्रमुख वादे को पूरा किया। आज देशभर की करोड़ो मुस्लिम महिलायें खुशी में झूम रही हैं, उन्हें ''तीन तलाक'' की बेडियों से आजादी मिल ही गयी है। प्रस्तुत लेख पूर्णतया प्राथमिक एवं द्वितीय प्रकार की सूचनाओं पर आधारित रहेगा जैसे– इस्लामिक पुस्तक, भारतीय संविधान, समाचार–पत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) की वेबसाइट इत्यादि का प्रयोग किया जायेगा।

मूल शब्द– महिला, समानता, लैंगिक, तीन तलाक, भारतीय संविधान

भूमिका

सामान्यतः सभी समाजों में पुरूष या महिला होना केवल उनकी जैविक और शारीरिक विशेषताओं का बोध नहीं कराता, बल्कि पुरूषों और महिलाओं से अलग–अलग व्यवहार, आदतों और भूमिकाओं की अपेक्षा की जाती है। पुरूषों और महिलाओं के बीच संबंध चाहे परिवार में हो, कार्यस्थल पर या सार्वजनिक क्षेत्र में, पुरूषसत्ता द्वारा ही निर्धारित होते आए हैं, जबकि संविधान और मानवाधिकार घोषणा–पत्र में महिला–पुरूष की समानता का स्पष्ट उल्लेख है। लैंगिक समानता महिलाओं और पुरूषों के प्रति निष्पक्ष होने की प्रक्रिया है।

लैंगिक समानता का मतलब है कि दोनों को अवसरों और अधिकारों में समानता प्राप्त हो, दोनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का समान अधिकार प्राप्त हो और उनके साथ जाति, धर्म, लिंग, विवाह, भाषा और रंग के आधार पर भेदभाव न किया जाये, ''जिस प्रकार तराजू में दोनों तरफ बराबर भार रखने पर वह संतुलित होती है ठीक उसी तरह किसी भी समाज व राष्ट्र को संतुलित बनाने के लिए जरूरी है कि वहां पुरूषों और स्त्रियों के मध्य लैंगिक समानता स्थापित की जानी चाहिए।''[1] आज आधुनिकता की जीवन शैली को अपनाने के बावजूद भारतीय समाज लैंगिक समानता के मामले में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। सही मायने में देखा जाये तो लैंगिक समानता का न होना ही समाज में असंतुलन को जन्म देता है।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ नागरिकों पर लागू करने के लिए अनेक कानून हैं। भारत के मुस्लिम समुदाय पर कुछ मामलों में तो देश का सामान्य कानून लागू होता है लेकिन कुछ मामले **''मुस्लिम पर्सनल लॉ''** के आधार पर हल होते हैं। कुरआन शरीफ में दिए गए अधिकार ही औरतों को मिल जाए तो स्थिति में बहुत बदलाव आ सकता है क्योंकि कुरआन शरीफ में जगह–जगह पर लैंगिक समानता की बात हुई है। ''कुरआन की आदर्श व्याख्या के मुताबिक महिला व पुरूष दोनों अल्लाह की संताने हैं और दोनों को समान दर्जा हासिल है''[2] लेकिन इनके साथ भेदभाव किया जाता है।

वर्तमान में **''मुस्लिम महिला (विवाह–विच्छेद) अधिनियम 1986''** के द्वारा तलाक के मामले में अब मुस्लिम महिला की स्थिति काफी हद तक सुधर गई है, लेकिन पूर्व में प्रचलित किसी भी समय एक साथ तीन बार ''तलाक'' कह देने से जो तलाक (सम्बन्ध खत्म) माना जा रहा था कि यह मुस्लिम महिलाओं के प्रति अन्याय था। भारतीय समाज में एक सोच बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और वह है बिना सोचे समझे किसी प्रथा को मान्यता दे देना। सम्पूर्ण ज्ञान ना होते हुए भी कुछ परम्पराओं को मानने लगते हैं, जो आगे

चलकर सभी अन्य लोगों के लिए दुखदायी हो जाता है। इसी प्रकार की सोच का परिणाम है ''तीन तलाक'' की परम्परा जो मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए एक अभिशाप बन गयी थी। समाज में इस परम्परा ने ना जाने कितनी महिलाओं के जीवन को नारकीय बना दिया है और ना जाने कितने अनगिनत घर–परिवारों को नष्ट किया था।

आधुनिक समाज में कुरआन का सहारा लेकर भी इस ''तीन तलाक'' की प्रथा का बचाव नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल, यह मामला पवित्र कुरआन का नहीं बल्कि उसकी अलग–अलग व्याख्याओं का है। यहां यह बताना जरूरी है कि ''इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र ग्रन्थ कुरआन में ''तीन तलाक'' का जिक्र नहीं है। लेकिन पुरूषवादी सोच के चलते मुस्लिम समाज में यह कुरीति प्रचलित है। ''तीन तलाक'' का मुद्दा धर्म की आड़ में किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन अवैध है''[3] जो मुस्लिम महिलाऐं लम्बे समय से इस प्रथा के खिलाफ आन्दोलन चला रही हैं वे भी इस्लाम और कुरआन में आस्था रखती हैं, और वे कहती हैं कि इस्लाम या कुरआन उनके अधिकार छीनने या कम करने को नहीं कहता है। **''मुस्लिम पर्सनल लॉ''** में संशोधन से ना तो कुरआन की पवित्रता पर कोई आंच आएगी, न इस्लाम का कोई नुकसान होगा। ''1972 में पहली बार केरल हाईकोर्ट में **चीफ जस्टिस पी0 खालिद** ने ''तीन तलाक'' को इस्लाम और भारतीय संविधान दोनों की मूल भावना के खिलाफ करार दिये। उसके बाद 2002 में **शमीम आरा** के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ''तीन तलाक'' को भारतीय संविधान और इस्लाम मूल भावना के खिलाफ बताते हुए अमान्य करार घोषित किया और अनुच्छेद–14 और अनुच्छेद–21 का उल्लंघन बताया।''[4]

''तीन तलाक'' का इतिहास

(वर्ष 1981–2016) शाहबानों से लेकर, सायरा बानो तक ''तीन तलाक'' के खिलाफ इन दोनों महिलाओं की आवाज भारत की मुस्लिम महिलाओं की आवाज बनी, 36 वर्ष में दो मौके ऐसे आए जब ''तीन तलाक'' का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले भी सुनाये। 1985 में ''तीन तलाक'' के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलन्द करने वाली मुस्लिम महिला थी शाहबानो।

1981 में ''तीन तलाक'' से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट में पहला मामला आया। मध्य–प्रदेश (इंदौर) की रहने वाली शाहबानों को 1978 में उनके पति मोहम्मद अहमद ने 62 वर्ष की उम्र में तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। शाहबानों उस समय पांच बच्चों की माँ थी। अपना ओर बच्चों के गुजारे के लिये पति पर निर्भर थी। लेकिन पति के मुताबिक शाहबानों को गुजारा भत्ता देना उनकी जिम्मेदारी नही थी। मजबूर शाहबानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ''1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सीआरपीसी की धारा–125 का हवाला दिया जो तलाक के केस में गुजारा भत्ता तय करने से जुड़ी थी।''[5] शाहबानों के पक्ष में फैसला आया तो **''मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड''** ने शाहबानों के पक्ष में आये न्यायालय के फैसले के खिलाफ देशभर में आन्दोलन छेड़ दिया, देश के तमाम मुस्लिम संगठनों का कहना था कि न्यायालय उनके पारिवारिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके उनके अधिकारों का हनन कर रहा है।

उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी सरकार ने सत्ता के लालच में सन् 1986 में कानून बना दिया ये कानून **''मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम–1986''** कहलाया इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'द ल्यूट' कर दिया और कानून के तहत सिर्फ ईद्दत के दौरान (यानि तलाक के बाद तीन महिने के दौरान) ही गुजारा भत्ता मांगने की इजाजत मिली। संसद में बने इस कानून की वजह से शाहबानों जीतकर भी हार गई थी लेकिन वक्त बदला और वर्ष 2016 में सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में ''तीन तलाक'' के खिलाफ अपील दायर की। ''तीन तलाक'' के खिलाफ सायरा बानो के पीटिसन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बाकी मामलों को भी अटैच कर दिया जिसमें **अफरीन रेहमान, गुलशन प्रवीन** और **इशरत जहाँ** का भी नाम शामिल था। याचिकाकर्ता सायरा बानो के वकील अमित चड्ढा ने कहा था कि ''अनुच्छेद–25 में 'धार्मिक प्रोटेक्शन' की बात है 'तीन तलाक' अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं हो सकता, 'धार्मिक दर्शन शास्त्र' में 'तीन तलाक' को पाप और बुरा कहा गया है। ऐसे में इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षित कैसे किया जा सकता है।''[6] 'तीन तलाक' पीड़ितों में से एक की ओर से अदालत में पेश हुए सीनियर वकील **रामजेठ मलानी** ने इस प्रथा की कठोर शब्दों में आलोचना की और कहा कि ''ये मुस्लिम महिलाओं को तलाक का समान अधिकार नहीं देता।''[7] वैसे तो अगस्त, इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के पन्नों से भरपूर है, 8 अगस्त ''भारत छोड़ों आन्दोलन'', 15 अगस्त ''भारतीय स्वतंत्रता दिवस'', 19 अगस्त ''विश्व मानवीय दिवस'' 20 अगस्त ''सद्भावना दिवस'', 5 अगस्त को 'धारा 370' खत्म होना जैसे इतिहास के सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने वाले दिन हैं।

वहीं 22 अगस्त 2017 को सबसे जटिल सामाजिक मुद्दों में से एक ''तीन तलाक'' के मुद्दे **''शायरा बानो बनाम भारत संघ''** के मामले पर शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय खण्डपीठ का निर्णय 3:2 बहुमत से है। इस फैसले के अनुसार तलाक की यह प्रक्रिया संविधान में दिए गए अनुच्छेद–14 ''समानता के अधिकार'' का हनन है और यह संविधान का हिस्सा नहीं है। ये प्रथा बिना कोई मौका दिये विवाह (शादी) को खत्म कर देती है। इसलिए इसे संविधान में दी गई यह मजहबी आजादी अनुच्छेद–25 में संरक्षण नहीं मिल सकता। इसके लिए बहुमत के आधार पर 'शरीयत कानून–1937' की 'धारा–2' में इस तलाक को दी गयी मान्यता को भी निरस्त कर दिया। जजों की खण्डपीठ में न्यायाधीश **रोहिंटन फली निरमन**, न्यायाधीश **उदय ललित** और न्यायाधीश **कुरियर जोसेफ** ने 'तीन तलाक' को असंवैधानिक बताते हुए मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर आघात करने वाला बताया। वहीं मुख्य न्यायाधीश **जगदीश सिंह खेहर** और न्यायाधीश **एस0 अब्दुल नजीर** ने इसे असंवैधनिक नहीं माना। तलाक–ए–विद्दत सुन्नी समुदाय में गत 1000 वर्षों से चला आ रहा

है और इसकी स्वीकृति पुरूषों को दी गयी है।

मुस्लिम समाज में तीन तलाक, जैसे घोर अनैतिक सामाजिक प्रथा का आखिरकार अन्त हो ही गया। देश के **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी** ने देश की आधी आबादी के बीच समानता की एक आधारशिला रख दी है। महिलाओं के ''तीन तलाक'' से सम्बन्धित मुद्दा नये भारत के निर्माण में जहां यह एक बड़ा कदम है वहीं इस फैसले ने भविष्य को लेक भी संकेत दे दिए हैं कि समानता और अधिकार की लड़ाई में धर्म और परम्परा को थोड़ा पीछे हटाना ही पड़ा।

'तीन तलाक' का मुद्दा शुद्ध रूप से सामाजिक विषय है, पर जिस प्रकार यह ऐतिहासिक फैसला आया है इसके बाद यह जानना स्वाभाविक है कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना यह सामाजिक बदलाव संभव था? जवाब नहीं, दरअसल पहली बार सरकार ने खुलकर बदलाव का नजरिया रखा, कोर्ट को बताया गया कि ''मिस्र दुनिया का पहला इस्लामी देश है जिसने 1929 में ''तीन तलाक'' को खत्म किया, गैर–कानूनी एवं दण्डनीय अपराध बनाया, 1929 में सूडान ने भी ''तीन तलाक'' पर प्रतिबन्ध लगाया, 1956 में पाकिस्तान ने, 1972 में बांग्लादेश ने, 1959 में इराक ने, सीरिया ने 1953 में, मलेशिया ने 1969 में इस पर रोक लगाई और कड़े कानूनी प्रावधान बनाये।''[8] लेकिन भारत को मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा के अमानवीय जुल्म से आजादी दिलाने में 70 वर्ष से अधिक समय लगा।

मुस्लिम समाज में एक बार में 'तीन तलाक' की प्रथा के खिलाफ लम्बी लड़ाई लड़ने वाले संगठन 'भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन' **(सी0एम0एम0ए0)** ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ''अब सरकार और राजनीतिक दलों को मिलकर हिन्दू विवाह अधिनियम की तर्ज पर **''मुस्लिम परिवार कानून''** भी बनाना चाहिए।''[9]

मुस्लिम महिलाओं की स्थिति तलाक के मामले में बहुत ही बदतर थी तलाक देना मुस्लिम पुरूष का एक निरंकुश अधिकार था। वह जब चाहे अपनी पत्नि को तीन शब्दों का उच्चारण कर 'तलाक' दे सकता था। इतना ही नहीं एक मुस्लिम पुरूष तलाक के बाद केवल इद्दत की अवधि तक ही पत्नि को भरण–पोषण का खर्चा देने के लिए बाध्य है। इस स्थिति ने महिला की स्थिति को और ज्यादा विकृत बना दिया और पति के लिए पत्नि को 'तलाक' देना आसान होने के साथ–ही आम बात बन गई थी।

विधेयक को पारित करने में लगा समय एवं प्रक्रिया

वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में ''तीन तलाक'' को असंवैधानिक करार दिया था इसके साथ ही शीर्ष आदालत ने केन्द्र सरकार को मुस्लिम विवाह ''तीन तलाक'' व्यवस्था संबंधी कानून बनाने के निर्देश भी दिये थे। ''तीन तलाक'' से जुड़े विधेयक को संसद से पारित होने में लम्बा वक्त लगा। 3 अध्यादेश और 3 बार विधेयक लाने के बाद ही इसे संसद से मंजूरी मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहले 28 दिसम्बर 2017 को सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया हालांकि लोकसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक राज्यसभा में अटका रहा, 19 सितम्बर 2018 को सरकार फिर अध्यादेश लाई। 17 दिसम्बर 2018 को नये शिरे से लोकसभा में विधेयक लाया गया, राज्यसभा में लम्बित रहने पर सरकार 12 जनवरी 2019 को दूसरी बार अध्यादेश लाई, 3 फरवरी 2019 को तीसरी बार अध्यादेश लाया गया। तीसरी बार सरकार ने 21 जून 2019 को लोकसभा में नये सिरे से विधेयक पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद केन्द्र सरकार ''मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश 2019 को 30 जुलाई को राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित कर दिया लोकसभा से ये विधेयक 25 जुलाई को ही पारित हो चुका था। इससे पहले उच्च सदन में विधेयक को **''प्रवर समिति''** में भेजने पर विपक्षी दल की ओर से कांग्रेस के **दिग्विजय सिंह** के एक संशोधन को सदन ने 84 के मुकाबले 100 मतों से खारिज कर दिया, विधेयक पारित होने से पहले ही **जेडीयू** और **एआईडीएमके** के सदस्यों ने विरोध करते हुए सदन से ''वॉक आउट'' किया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री **रविशंकर प्रसाद** ने कहा कि ''तीन तलाक से प्रभावित होने वाली 75 प्रतिशत महिलाएं गरीब वर्ग की होती हैं।''[10] ऐसे में ये विधेयक उन्हें ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ''कानून के बिना पुलिस पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं थी।''[11] कानून मंत्री **रविशंकर प्रसाद** ने कहा कि ''अगर मंशा साफ हो तो लोग बदलाव की पहल का समर्थन करने को तैयार रहते हैं।''[12] उन्होंने ये भी कहा कि ''अगर इस्लामिक देश 'तीन तलाक' को समाप्त कर सकते हैं और महिलाओं के लिए बदलाव की कोशिश कर सकते हैं तो लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें क्यो नहीं करना चाहिए।''[13] 'तीन तलाक' से जुड़े विधेयक के संसद से पारित होने पर समाज के सभी वर्गों से सकारात्मक प्रक्रिया आई है; देश के **राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द** ने कहा कि ''राज्य सभा में **मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम** के पारित होने से 'तीन तलाक' की अन्यायपूर्ण परम्परा के प्रतिबन्ध पर संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह महिला–पुरूष समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है : पूरे देश के लिए संतोष का क्षण है।''[14]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में **''मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम–2019''** को पारित कराने में सहयोग देने वाले सभी राजनैतिक दलों और सांसदों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि ''इससे उनके लिए अवसर बढ़ गए हैं और यह कदम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। एक पुरातन और मध्यकालीन परम्परा इतिहास में दफन हो गई। संसद ने 'तीन तलाक' को समाप्त कर दिया और मुस्लिम महिलाओं के प्रति हुई ऐतिहासिक गलती को सुधार दिया गया।''[15] यह लैंगिक न्याय की जीत है ओर इससे समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा। भारत आज प्रफुल्लित है यह मुस्लिम महिलाओं के असाधारण साहस को सलाम करने का अवसर है जिन्हें 'तीन तलाक' की प्रथा के कारण भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ''तीन तलाक'' की प्रथा समाप्त होने से महिलाओं के सशक्तिकरण में इजाफा होगा और महिलाओं को समाज में वह गरिमा प्राप्त होगी,

जिसकी वे हकदार हैं।

''तीन तलाक'' को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित होने के बाद सरकार द्वारा 'तीन तलाक' बिल संसद के दोनों सदनों, 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में तथा 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पास हुआ। 1 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 'तीन तलाक' कानून बन गया इस कानून को 19 सितम्बर 2018 से लागू माना गया है।

इस ऐतिहासिक निर्णय का परिणाम यह होगा कि अब भारत में कोई भी शोहर अपनी बेगम को मनमाने ढंग से तलाक–तलाक–तलाक कहकर नहीं छोड़ सकता, मुस्लिम महिलाओं के मन में ''तीन तलाक'' को लेकर बैठा भय खत्म होगा और अब मुस्लिम महिलायें स्वतंत्रता से अपने जीवन को यापन करके खुश हैं।

एक नजर मुस्लिम महिलाओं की हिम्मत पर

सायरा बानो, इशरत जहां और **जाकिया सोनम** ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने साहस के बल पर मुस्लिम समाज में व्याप्त सामाजिक कलंक पर विमर्श को एक नई दिशा दी है। उत्तराखण्ड में काशीपुर निवासी सायरा बानों के शौहर ने डेढ़ दशक तक शादी के बंधन में रहने के बाद वर्ष 2015 में तलाक दे दिया था। सायरा बानो ने 2016 में शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर **''तलाक–ए–बिद्दत''** (तीन तलाक), बहु–विवाह और निकाह हलाला को संविधन के मौलिक अधिकारों के हनन को गैर–कानूनी घोषित करने की मांग उठायी। इस तरह प0 पश्चिम में हावड़ा की इशरतजहाँ ने अगस्त 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में इस सामाजिक कलंक ''तीन तलाक'' के विरूद्ध याचिका दाखिल की थी। उनके पति ने दुबई से फोन पर तीन बार तलाक–तलाक–तलाक कहकर रिश्ता खत्म कर दिया था। वहीं भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन का नेतृत्व करने वाली जाकिया ने मुस्लिम समाज में ''तीन तलाक'' एवं अन्य कुरीतियों के विरूद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया था जिसमें हजारो मुस्लिम महिलाओं ने बढ़–चढ़कर भाग लिया और विजय भी हासिल की।

आज लगभग चार वर्ष हो गये हैं, इस दौरान ''तीन तलाक'' या **''तिलाक–ए–बिद्दत''** की घटनाओं में 83 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है, **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी** की सरकार हर वर्ग के सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार को समर्पित है। वर्ष 2019 में **नरेन्द्र मोदी** सरकार ने ''तीन तलाक'' के खिलाफ कानून बनाया, ''भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1985 से जुलाई 2019 तक यानि कानून बनने से पहले तक उत्तर प्रदेश में इसके लगभग 63,407 मामले थे लेकिन कानून बन जाने के बाद चार वर्ष में 257 मामले ही दर्ज हुए हैं, इसी तरह बिहार में भी लगभग 38,617 केस थे लेकिन कानून बन जाने के बाद 235 मामले ही दर्ज हुए, हरियाणा में भी इसके लगभग 38,617 मामले दर्ज थे लेकिन कानून बन जाने के बाद चार वर्ष में केवल 97 मामले ही दर्ज हुए हैं, इसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र केरल जैसे राज्य में भी अब ऐसे मामलों की संख्या बहुत ही कम रह गयी है''[16] जिसका अर्थ है कि ''तीन तलाक'' कानून का असर मुस्लिम समाज पर हुआ है और जो महिलायें कल तक अपने पति से ''तीन तलाक'' मिलने के बाद चाहकर भी कोई विरोध नहीं कर पा रही थीं आज वो ही उन्हें जेल में भेज रही हैं। इन चार वर्षों में ''तीन तलाक'' कानून की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। जो मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए एक अच्छा संदेश है।

लैंगिक समानता का घटता अन्तराल

वर्तमान समाज में कार्यशील महिलाओं की भूमिका में व्यापक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अब महिलाएं अपने दायित्वों के साथ–साथ अधिकारों के प्रति भी सजग हुई हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की **''वार्षिक लैंगिक अन्तराल रिपोर्ट–2023**'' प्रकाशित हुई है। ''इस बार भारत वैश्विक लैंगिक सूचकांक में आठ अंकों का सुधार करते हुए 146 देशों में से भारत 127 वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछली बार से भारत की स्थिति में 1.4 प्रतिशत फीसदी का सुधार हुआ है। गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच ने 2022 में अपने वैश्विक लैंगिक अन्तराल सूचकांक में भारत को 146 में से 135वें स्थान पर था। इस सूचकांक में पाकिस्तान 142वें, बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर है। इसी के साथ–साथ 91.2 फीसदी के लैंगिक अन्तर के साथ आइसलैंड ने लगातार चौदहवें वर्ष में सबसे अधिक लैंगिक क्षमता वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है।''[17] कहने की आवश्यकता नहीं कि यह वैश्विक लैंगिक अन्तराल सूचकांक पुरूषों और महिलाओं के बीच उनके सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण, उपलब्धियों तथा विकास के संदर्भ में असमानता के स्तर का आंकलन करता है। यह सूचकांक–2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व स्तर पर लैंगिक समानता को मापने के लिए विकसित किया गया है। तुलनात्मक रूप से देखें तो इस रिपोर्ट में लैंगिक समानता के मामले में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, और भूटान की भारत से बेहतर स्थिति है।

''तीन तलाक'' विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान

- मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम–2019
- इस अधिनियम में ''तीन तलाक'' के मामले को सिविल मामलों की श्रेणी से निकालकर आपराधिक श्रेणी में डाला गया है।
- ''तीन तलाक'' यानि ''तलाक–ए–बिद्दत'' को गैर–कानूनी घोषित किया गया है।

- ''तीन तलाक'' को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान किया गया है। अर्थात् पुलिस बिना किसी वारंट के संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।
- इस अधिनियम में तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
- यह संज्ञेय तभी होगा जब या तो खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा–सम्बन्धी शिकायत दर्ज करे।
- मुकदमें से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट आपोरी को जमानत दे सकता है।
- पति–पत्नि के बीच यदि किसी प्रकार का आपसी समझौता होता है तो पीड़िता अपने पति के खिलाफ दायर की गयी प्रतिवेदन वापस ले सकती है।
- पीड़ित महिला नाबालिक बच्चों को अपने पास रख सकती है। इसके बारे में फैसला मजिस्ट्रेट ही तय करेगा।
- एक बार में ''तीन तलाक'' की पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट द्वारा तय किये गये मुआवजे की भी हकदार होगी।
- इस विधेयक की धारा–3 के अनुसार, लिखित या किसी भी इलैक्ट्रोनिक विधि से एक साथ ''तीन तलाक'' कहना अवैध तथा गैर–कानूनी होगी।
- पड़ोसी या कोई अनजान शख्स इस मामले में केस दर्ज नहीं कर सकता है।
- यह कानून सिर्फ ''तलाक–ए–बिद्दत'' यानी एक साथ तीन बार तलाक बोलने पर ही लागू होगा।

विधेयक पर सरकार का पक्ष

- यह अधिनियम सियासत, धर्म, सम्प्रदाय का प्रश्न नहीं है बल्कि नारी के सम्मान और नारी–न्याय का सवाल है।
- यह अधिनियम भारत की मुस्लिम बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी मामलों से संबद्ध है।
- इस अधिनियम को किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये एक फैसले में इस प्रथा पर रोक लगाने के बावजूद ''तीन तलाक'' की कुप्रथा जारी थी, इसलिए इस कुप्रथा को रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया है।
- अनेक इस्लामिक देशों में ''तीन तलाक'' पर पहले से प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है और अब भारत में भी इस पर प्रतिबन्ध लगाने से मुस्लिम समाज की महिलाओं का विकास होगा।
- यह महिलाओं के सम्मान की दिशा में उठाया गया कठोर कदम है। इससे मुस्लिम समाज की महिलाओं का उत्पीड़न रूकेगा। उन्हें मध्यकालीन प्रथा से आजादी मिलेगी।
- ''तीन तलाक'' की बुराई के चलन में होने के कारण मुस्लिम महिलाएँ अपने वैवाहिक भविष्य को लेकर आशंका से घिरी रहती थीं। इससे भी दुखद बात यह थी कि जब उन्हें एक झटके में ''तीन तलाक'' दे दिया जाता था तो वे एक तरह से असहाय हो जाती थीं।

विधेयक पर विपक्ष का तर्क

- इस्लाम में शादी को एक दिवानी समझौता बताया गया है, तलाक का मतलब इस करार को समाप्त करना है। इस कानून के तहत तलाक का अपराधीकरण किया जा रहा है।
- जब उच्चतम न्यायालय ने ''तीन तलाक'' को असंवैधानिक करार दे दिया है तो ऐसे में इस सम्बन्ध में कानून बनाने का क्या औचित्य है।
- तलाक देने वाले पति को तीन साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा तो वह पत्नि एवं बच्चों को गुजारा भत्ता कैसे देगा।
- जब ''तीन तलाक'' को निरस्त मान लिया गया है तो फिर तीन साल की सजा का प्रावधान कैसे कर सकते हैं? विपक्ष ने कहा कि इस सजा के प्रावधान से दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना समाप्त हो जाएगी।
- इस अधिनियम में मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने की बात की गई है, लेकिन उस गुजारे भत्ते के निर्धारण का तौर तरीका नहीं बताया गया है। 1986 के मुस्लिम महिला संबंधी एक कानून के तहत तलाक पाने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता मिल रहा है। इस कानून के आ जाने से पुराने कानून के जरिए मिलने वाला भत्ता बन्द हो सकता है।
- इस कानून के लागू होने के बाद इसका दुरूपयोग मस्लिम पुरूषों के खिलाफ होने की आशंका है क्योंकि विधेयक में ''तीन तलाक'' साबित करने की जिम्मेदारी केवल महिला पर हैं महिलाओं के साथ अगर पुरूषों को भी इसको साबित करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो कानून ज्यादा सख्त होगा।

सुप्रीम कोर्ट का नजरिया ''तीन तलाक'' पर

- ''तीन तलाक'' पीड़ित पांच महिलाओं ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
- ''तीन तलाक'' की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय विशेष बेंच का गठन किया गया।
- सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार ने लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ''तीन तलाक'' का विरोध किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुए 'तीन तलाक' को असंवैधानिक और कुरआन के मूल सिद्धान्तों के विरूद्ध बताया। 5 सदस्य खण्डपीठ ने 3:2 के बहुमत से यह निर्णय दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–14 और अनुच्छेद–21 का उल्लंघन बताया जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है।
- शीर्ष अदालत ने सरकार को इस संबंध में कानून बनाने के निर्देश दिये। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र–सरकार **मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक** लाई।
- यह विधेयक दिसंबर 2017 में लोकसभा में पारित हो गया। लेकिन राज्यसभा में अटक गया।
- इसके बाद सितंबर 2018 में सरकार ने ''तीन तलाक'' को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश जारी किया।
- इस अध्यादेश में ''तीन तलाक'' को अपराध घोषित करते हुए पति को तीन साल तक की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में लैंगिक असमानता सम्बन्धी अध्ययन किसी राष्ट्र की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली समस्याओं में सम्मिलित विषय नहीं रहा, बल्कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय हो गया है क्योंकि यह भी एक तथ्य है कि हमारे समाज में प्रचलित अनेक प्रथाएँ और पूर्वाग्रह लैंगिक समानता की राह में बाधा उत्पन्न करती है, अब यह अध्यादेश विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, उनके पति द्वारा तात्कालिक एवं अपरिवर्तनीय, ''तलाक–ए–बिद्दत'' के प्रचलन को रोकेगा। तलाक से पीड़ित महिला को आजीविका भत्ता एवं नाबालिक बच्चों के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया है।

प्रस्तुत शोध–पत्र में मुख्य रूप से मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार तथा उनसे जुड़े ''तीन तलाक'' के गम्भीर मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए ''तीन तलाक'' के मुद्दे का सामाजिक वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। आज बदले भारतीय मुस्लिम समाज में महिलायें समाज की अपनी पुरानी विचार धाराओं एवं परम्पराओं को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रही हैं, आज शोषण सह रही मुस्लिम महिलाओं ने अब लामबंद होना शुरू कर दिया है। वे अब मजहब के नाम पर किये जाने वाले किसी भी जुल्म को सहने को तैयार नहीं है। कोई भी परम्परा जो मानवता के खिलाफ हो, इंसान की अस्मिता के खिलाफ हो, वह कितनी भी पुरानी और स्थायी क्यों न हो उसका जमकर विरोध होना चाहिए, उसे उखाड़ फैकना चाहिए। जिससे भारत में लैंगिक समानता सतत् विकास के साथ–साथ मानवाधिकारों को साकार करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में लैंगिक समानता का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें महिला और पुरूष जीवन के सभी चरणों में समान अवसरों और दायित्वों का निष्पक्षता से निर्वहन हो सके। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जिस राष्ट्र ने अपने यहां लैंगिक समानता का संरक्षण किया है, उसने विकसित राष्ट्र के स्वप्न को भी साकार किया है। भारत अब विकसित राष्ट्र की यात्रा तय करने की ओर अग्रसर है। ''वर्तमान समाज में कार्यशील महिलाओं की भूमिका में व्यापक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। अब महिलाएं अपने दायित्वों के साथ–साथ अधिकारों के प्रति भी सजग हो रही है।''[18]

संदर्भ सूची

1. डॉ0 पंकज गुप्ता, ''मानवाधिकार व महिलायें'', साहित्यगार, जयपुर, संस्करण–2014, पृष्ठ सं0 56
2. डॉ0 शबनम बानो, ''भारत की आधी आबादी के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विवेचनात्मक'', आईजेआर, खण्ड–7 (09), सितम्बर 2018, पृष्ठ सं0 45
3. आशुतोष वार्ष्णेय, ''हिन्दू–मुस्लिम रिश्ते'', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण–2005, पृष्ठ सं0 102
4. मधु बंसल, डॉ0 मुकेश कुमार, ''तीन तलाक और मुस्लिम महिलाओं की स्थितिः नारीवादी'', आईजेएफएमआर, खण्ड–4 (02), मार्च–अप्रैल 2022, पृष्ठ सं0 03
5. आपका कानूनः डायवोर्स लॉ इन इण्डिया (तलाक, नियम और कानून), 30 जून 2023, 11।ड
6. डॉ0 सी0पी0 शर्मा, ''भारतीय शासन एवं राजनीति'', साधना एण्ड संस, दिल्ली, संस्करण–2008, पृष्ठ सं0 71
7. आरएसटीवी विशेषः तीन तलाकः मुस्लिम महिलाओं का संघर्ष, 2 जुलाई 2023, 3:17च्ड

8. जनसत्ता, नई दिल्ली, 25 जुलाई 2023, पृष्ठ सं0 08
9. अनामिका, ''स्त्री–विमर्श का लोकपक्ष'', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण–2016, पृष्ठ सं0 67
10. एबीपी न्यूज हिन्दी, ''राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास, 07 जुलाई 2023, 05:27च्ड
11. डॉ0 आदर्श तिवारी, ''असंवैधानिक हुआ तीन तलाक'', कला प्रवीण अभिषेक, नई दिल्ली, संस्करण–2018, पृष्ठ सं0 08
12. ीजजचरूध्ध्मदमूण्ण्दकपंण्बवउध्सपअम.जअए 09 श्रनसल 2023ए 03रू47च्ड
13. क्तपीजप ै। ब्वंबीपदह पद क्मसीपए व्दसपदम ै। ज्मेज ैमतपमे + ैजनकल डंजमतपंसए चचण 02
14. डॉ0 शबनम बानो, ''भारत की आबादी के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विवेचनात्मक विश्लेषण'' आईजेआर खण्ड–7 (9), सितम्बर 2018, पृष्ठ सं0 47
15. ीजजचेरूध्ध्ंइचदमूण्पदए 21 श्रनदम 2023ए 2च्ड
16. राष्ट्रीय दैनिक जागरण, नई दिल्ली, 30 जुलाई 2023, पृष्ठ सं0 07
17. जनसत्ता, नई दिल्ली, 25 जुलाई 2023, पृष्ठ सं0 07
18. नैनेश गढ़वी, राम सोंदर्वा, ''21वीं सदी में महिलाओं का बदलता स्वरूप'', पैराडाइज पब्लिशर्स, जयपुर, संस्करण–2013, पृष्ठ सं0 28